

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

नीलू कुमारी

बनाम

संजय कुमार

2018 की विविध अपील संख्या 331

02 सितंबर 2025

[माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्र. सिंह]

विचार के लिए मुद्दा

क्या पक्षकारों के बीच विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12(1) के तहत इस आधार पर रद्द किया जा सकता था कि विवाह के समय पत्नी पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी, और क्या विवाह के चार महीने के भीतर पैदा हुए बच्चे को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 112 के अनुसार वैध माना जा सकता है?

हेडनोट्स

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 - धारा 13(1)(i ए), (i बी) - क्रूरता और परित्याग - आरोप विशिष्ट होने चाहिए और ठोस साक्ष्य द्वारा सिद्ध होने चाहिए - अस्पष्ट और सामान्य कथन अपर्याप्त - विवाह का सामान्य क्षरण, क्रूरता नहीं। क्रूरता - अर्थ और दायरा - गंभीर और पर्याप्त होना चाहिए; मामूली झगड़े या मतभेद क्रूरता नहीं माने जाएँगे - तलाक चाहने वाले याचिकाकर्ता पर सबूत का भार है।

परित्याग - अवधि की आवश्यकता - कथित परित्याग के चार महीने के भीतर दायर तलाक याचिका - दो साल की वैधानिक अवधि को पूरा नहीं करती - याचिका समय से पहले और अस्थिर।

पारिवारिक न्यायालय - सुलह कराने का कर्तव्य - तलाक देने से पहले सुलह के प्रयास न करना - माना गया, वैधानिक आदेश का उल्लंघन।

स्थायी गुजारा भत्ता - गैर-प्रतिफल - पारिवारिक न्यायालय ने पत्नी और आश्रित पुत्री के गुजारा भत्ते पर निर्णय न देकर गलती की - आदेश अस्थिर।

परिणाम - तलाक का आदेश रद्द - विवाह बहाल - अपील स्वीकार।

न्याय दृष्टान्त

(2007) 4 एससीसी 511, एआईआर 1975 एससी 1534

अधिनियमों की सूची

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारतीय दंड विधान, 1860; दहेज निषेध अधिनियम, 1961

मुख्य शब्दों की सूची

क्रूरता; परित्याग; समय से पहले तलाक की याचिका; भरण-पोषण; सुलह; गुजारा भत्ता; दहेज; वैवाहिक विवाद; पारिवारिक न्यायालय; हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13

प्रकरण से उत्पन्न

विद्वान पारिवारिक न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर, द्वारा पारित दिनांक 20.02.2018 को वैवाहिक (तलाक) वाद संख्या 247/2013 का निर्णय।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री कौशल किशोर, अधिवक्ता

उत्तरदाता/उत्तरदाताओं की ओर से: श्री अनिरुद्ध कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: श्री रवि राज, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 की विविध अपील सं. 331

नीलू कुमारी, पति- संजय कुमार, निवासी- मोहल्ला-पोखरा मोहल्ला, महाजन टोली, थाना-टाउन हाजीपुर, जिला-वैशाली। नैहरी पता- पिता- श्री राम बाबू सिंह, निवासी-गाँव-जमालपुर, डाकघर-सुभाई, महुआ रोड, थाना-सदर हाजीपुर, जिला-वैशाली।

... .. अपीलकर्ता/ओं

बनाम

संजय कुमार, पिता- श्री हरिवंश नारायण पटेल, निवासी-मोहल्ला-पोखरा मोहल्ला, महाजन टोली, थाना-टाउन हाजीपुर, जिला-वैशाली।

... .. उत्तरदाता/ओं

उपस्थिति :-

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री कौशल किशोर

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री अनिरुद्ध कुमार सिन्हा

समक्ष: माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्र. सिंह

सी ए वी निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्र. सिंह)

दिनांक: 02-09-2025

पक्षकारों को सुना।

2. अपीलकर्ता ने इस अपील के माध्यम से दिनांक 20.02.2018 को पारित उस निर्णय और डिक्री के विरुद्ध अपील दायर की है, जिसे विद्वान पारिवारिक न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर द्वारा तलाक वाद संख्या 247/2013 में पारित किया गया था। उक्त निर्णय में उत्तरदाता द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में '1955 अधिनियम') की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद (तलाक) की डिक्री प्राप्त करने हेतु दायर याचिका को स्वीकार कर लिया गया है।

3. उत्तरदाता द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत दायर याचिका में वर्णित वाद यह है कि अपीलकर्ता का विवाह उत्तरदाता के साथ दिनांक 20.11.2011 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ। इस वैवाहिक संबंध से दिनांक 03.11.2012 को एक कन्या संतान का जन्म हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात् अपीलकर्ता ने उत्तरदाता पर अपने वृद्ध माता-पिता से अलग रहने का दबाव डालना प्रारंभ कर दिया। अपीलकर्ता अपने सास-ससुर के प्रति अशोभनीय एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया करती थी। वह अपने पति (उत्तरदाता) के साथ भी क्रूर व्यवहार करती थी और उत्तरदाता के परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने का प्रयास करती थी। विवाह के उपरान्त अपीलकर्ता ने कभी पत्नी के रूप में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और उत्तरदाता की वृद्ध माता ही परिवार के लिए भोजन बनाया करती थीं। अपीलकर्ता प्रायः उस भोजन को घर के बाहर फेंक दिया करती थी, जिसके कारण उत्तरदाता एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों को कई बार भूखे रहना पड़ा। अपीलकर्ता स्वतंत्र स्वभाव की महिला है और वह अन्य पुरुषों के साथ फिल्म देखने तथा बाज़ार घूमने जाया करती थी। जब भी उत्तरदाता इसका विरोध करता, वह क्रोधित हो जाती थी। अपीलकर्ता बार-बार बिना उत्तरदाता की अनुमति के अपने मायके जाया करती थी।

4. अपीलकर्ता अपने पति तथा अन्य ससुराल पक्ष के सदस्यों के प्रति वैवाहिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूर्णतः विफल रही है। अपीलकर्ता के कृत्यों/दुराचारों से

उत्तरदाता के मानसिक स्तर पर अत्यधिक पीड़ा एवं उत्पीड़न हुआ है। इससे उत्तरदाता के मन में गहरा दुख और कष्ट उत्पन्न हुआ और उसने अनुभव किया कि अपीलकर्ता को भरपूर प्रेम और स्नेह देने के बावजूद, उसके व्यवहार में न तो उत्तरदाता के प्रति और न ही उसके माता-पिता, संबंधियों एवं मित्रों के प्रति कोई परिवर्तन आया। अपीलकर्ता ने दिनांक 19.08.2013 को उत्तरदाता का साथ एवं गृहस्थ जीवन त्याग दिया और अपने *मायके* चली गई। अपीलकर्ता और उत्तरदाता के बीच वैवाहिक संबंध पूर्ण रूप से टूट चुके हैं और उनके दांपत्य जीवन के पुनः स्थापित होने की कोई आशा शेष नहीं रह गई है। अतः उत्तरदाता ने अपीलकर्ता के साथ विवाह विच्छेद (तलाक) हेतु यह वर्तमान तलाक याचिका दायर की है।

5. वैवाहिक वाद दाखिल किए जाने के बाद, उत्तरदाता/अपीलकर्ता को समन जारी किये गये। वह उपस्थित हुई और अपनी लिखित जवाबी याचिका प्रस्तुत की, जिसमें उसने उत्तरदाता द्वारा अपीलकर्ता के आचरण और व्यवहार के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को अस्वीकार किया। उसने यह भी कहा कि वह अपने वैवाहिक घर में भोजन बनाती थी और नहाने के बाद भगवान की पूजा कर भोजन करती थी। याचिका में यह भी कहा गया कि उसके पति ने 2 लाख रुपये दहेज के रूप में मांगे थे और इसके न मिलने पर उसे तथा उसकी पुत्री को वैवाहिक घर से निकाल दिया गया। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि उत्तरदाता का अपनी (*भाभी*) के साथ अवैध संबंध है। अपीलकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498(ए) तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत उत्तरदाता एवं ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के विरुद्ध शिकायत संख्या 2526/2014 भी दायर की है। यह तलाक का मामला केवल झूठे और मनगढ़ंत आधारों पर दायर किया गया है ताकि अपीलकर्ता को उत्तरदाता के वैवाहिक जीवन से बाहर किया जा सके। अतः अपीलकर्ता ने प्रार्थना की है कि उत्तरदाता द्वारा दायर तलाक याचिका खारिज की जाए।

6. मुद्दा तय करने और अभिलेख पर उपलब्ध मौलिक साक्ष्यों के आधार पर, विद्वान पारिवारिक न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर ने पाया कि अपीलकर्ता पत्नी ने अपने पति के साथ

मानसिक क्रूरता का व्यवहार किया है। तदनुसार, इस मुकदमे को अधिनियम की धारा 13(1) के अंतर्गत उत्तरदाता के पक्ष में निर्णय दिया गया और इस प्रकार, दिनांक 20.11.2011 को दोनों पक्षों के बीच संपन्न विवाह को क्रूरता और परित्याग के कारण समाप्त कर दिया गया। अपीलकर्ता पत्नी ने पारिवारिक न्यायालय के उक्त निर्णय से आहत होकर इस न्यायालय में वर्तमान अपील दायर की है।

7. अपीलकर्ता-पत्नी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने तलाक याचिका को स्वीकार करने में कानून और तथ्य दोनों में त्रुटि की है। अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा कि तलाक याचिका गलत रूप से क्रूरता के आधार पर मंजूर की गई है, जबकि वास्तव में अपीलकर्ता-पत्नी के साथ उसके वैवाहिक गृह में क्रूर व्यवहार किया गया था और उसने केवल अपने कानूनी उपायों का प्रयोग करते हुए क्रूरता और दहेज मांग के संबंध में मुकदमे दायर किए थे, लेकिन इन्हें गलत तरीके से अपीलकर्ता के विरुद्ध लिया गया। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि पारिवारिक न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता ने उत्तरदाता-पति को त्याग दिया, जबकि वास्तव में उत्तरदाता-पति ने ही अपीलकर्ता-पत्नी को उसके वैवाहिक घर छोड़ने के लिए बाध्य किया था।

8. अपीलकर्ता की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता-पत्नी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण-पोषण वाद संख्या 31/2016, विद्वान पारिवारिक न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर के समक्ष दायर किया है, जिसमें उसे अंतरिम भरण-पोषण के रूप में ₹3000/- प्रतिमाह की राशि प्राप्त हो रही है।

9. यह भी प्रस्तुत किया गया कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा पक्षकारों के बीच सुलह कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया और न ही स्थायी भरण-पोषण के संबंध में कोई निर्णय लिया गया। अतः यह कहा गया कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष विधिक दृष्टिकोण से टिकाऊ नहीं हैं।

10. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं तथा पारिवारिक न्यायालय के संबंधित अभिलेखों एवं आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया।

11. प्रकरण अभिलेखों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता और उत्तरदाता के बीच संपन्न विवाह को विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर समाप्त कर दिया गया।

12. जहाँ तक तलाक हेतु क्रूरता के आधार का संबंध है, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में 'क्रूरता' शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा निर्दिष्ट नहीं की गई है। तथापि, यह विधिक रूप से स्थापित सिद्धांत है कि क्रूरता का ऐसा स्वरूप और व्यवहार होता है जिससे दूसरे पक्षकार (पति या पत्नी) के मन में यह युक्तिसंगत आशंका उत्पन्न हो जाए कि उत्तरदाता/सामने वाले पक्ष के साथ जीवन यापन करना उसके लिए हानिकारक और पीड़ादायक होगा।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समर घोष बनाम जया घोष (2007 (4) एससीसी 511) के अग्रणी मामले में यह अवलोकन किया है कि यदि किसी एक पक्षकार का निरंतर और अनुचित आचरण एवं व्यवहार, दूसरे पक्षकार के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को वास्तविक रूप से प्रभावित करता है, तो वह क्रूरता की श्रेणी में आता है। ऐसे व्यवहार की गंभीरता, स्थायित्व और प्रभाव इतना गहन, ठोस व महत्वपूर्ण होना चाहिए कि उससे खतरे या आशंका की वास्तविक स्थिति उत्पन्न हो। केवल तुच्छ झगड़े, मामूली कहासुनी या दांपत्य जीवन की सामान्य खटपट, जो प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा होती है, उन्हें मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

14. इस संदर्भ में, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नारायण गणेश दस्ताने बनाम सुचेता नारायण दस्ताने (एआईआर 1975, 1534) के निर्णय में दिए गए स्वर्णिम अवलोकन को उद्धृत करने के लिए प्रेरित हैं, जो इस प्रकार हैं:-

“एक अन्य विषय जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है वह यह है कि भले ही धारा 10(1)(बी) के अंतर्गत याचिकाकर्ता की यह आशंका कि दूसरे पक्ष के साथ रहना हानिकारक या पीड़ादायक होगा, युक्तिसंगत होनी चाहिए, तथापि यह गलत होगा कि इस आशंका के संदर्भ के बाहर युक्तिसंगत व्यक्ति के दांपत्य संबंधों के न्याय में उस अर्थ को लागू किया जाए जैसा कि लापरवाही के कानून में जाना जाता है। निश्चित रूप से, पति-पत्नी को अपने संयुक्त जीवन को सर्वोत्तम रूप में चलाना चाहिए, लेकिन यह न्यायालय का काम नहीं है कि वह क्रूरता के आरोप की जांच करते हुए दांपत्य जीवन की व्यवहारिकताओं पर दार्शनिक विचार करे। कोई व्यक्ति देर तक जागना चाहता हो या दिन का काम खत्म करना चाहता हो, तो कोई व्यक्ति सुबह जल्दी गोल्फ खेलने के लिए उठना चाहता हो, न्यायालय इन आदतों या शौकों पर यह परीक्षण लागू नहीं कर सकती कि क्या युक्तिसंगत व्यक्ति इसी तरह व्यवहार करेगा। यह प्रश्न कि शिकायत की गई कुप्रवृत्ति तलाक के लिए क्रूरता बनती है या नहीं, मुख्य रूप से इसके प्रभाव से तय होता है कि वह कुप्रवृत्ति शिकायत करने वाले व्यक्ति पर क्या असर डालती है। प्रश्न यह नहीं है कि क्या यह व्यवहार एक सामान्य व्यक्ति या औसत संवेदनशीलता वाले व्यक्ति के लिए क्रूर होगा, बल्कि यह है कि क्या इसका प्रभाव पीड़ित पति या पत्नी पर होता है। जो किसी एक व्यक्ति के लिए क्रूर हो सकता है, वह दूसरे के लिए हँसने योग्य हो सकता है, और जो एक व्यक्ति के लिए किसी परिस्थिति में क्रूर नहीं हो, वह किसी अन्य परिस्थिति में अत्यंत क्रूर हो सकता है। न्यायालय को आदर्श पति-पत्नी के साथ नहीं, बल्कि उसके सामने उपस्थित विशिष्ट पुरुष और महिला के साथ व्यवहार करना होता है। आदर्श या लगभग आदर्श जोड़ा संभवतः पारिवारिक न्यायालय का रुख नहीं करेगा, क्योंकि भले ही वे अपने

मतभेदों को सुलझा न सकें, उनकी आदर्श सोच आपसी दोषों और असफलताओं को नजरअंदाज या छिपा सकती है।"

15. मुकदमे के दौरान, उत्तरदाता की ओर से कुल पांच गवाहों से पूछताछ की गई है जो अ.सा. 1 सुनील पटेल (पड़ोसी), अ.सा. 2 मनोज कुमार, अ.सा. 3 कुमार शंकर पटेल, अ.सा. 4 शैलेंद्र कुमार पटेल और अ.सा. 5 संजय कुमार (स्वयं उत्तरदाता) हैं।

16. उत्तरदाता निम्नलिखित दस्तावेजों को भी अभिलेख में लाया है।

प्रदर्श-1: शिकायत मामला सं. सी1 2526/2014 में दिनांक 05.08.2014 से 09.05.2014 तक पारित आदेश की प्रमाणित प्रति, वि. सं. 28/2015

प्रदर्श.2: शिकायत मामला संख्या 2526/2014 की प्रमाणित प्रति।

प्रदर्श.3 से प्रदर्श.3/ए: शिकायत मामले में धारा 202 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दिये गए गवाहों के बयान की प्रमाणित प्रति।

17. अपीलार्थी ने अपने मामले के समर्थन में पाँच गवाहों से पूछताछ भी की है जो वि.अ.सा. 1 निलो कुमारी, वि.अ.सा. 2 मीना देवी, वि.अ.सा. 3 महेश्वर साह, वि.अ.सा. 4 मुकेश साह और वि.अ.सा. 5 राम बाबू सिंह हैं।

18. अ.सा. 5/उत्तरदाता ने क्रूरता के किसी भी घटना का उल्लेख नहीं किया है। उसने क्रूरता के विषय में अस्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। यद्यपि उसने अलगाव की तारीख का उल्लेख किया है, परन्तु वह कानून द्वारा निर्धारित दो वर्ष से कम है। याचिका में भी उक्त तथ्य विद्यमान नहीं हैं।

19. आक्षेपित निर्णय का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता-पति ने अपीलकर्ता द्वारा अपने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति क्रूर व्यवहार को ठोस, प्रासंगिक और विश्वसनीय साक्ष्यों की मदद से प्रमाणित करने में असफल रहा है, जबकि क्रूरता का प्रमाण दिखाने की जिम्मेदारी इस मामले में उत्तरदाता-पति पर है, क्योंकि उसने तलाक की

मांग अपीलकर्ता के क्रूर व्यवहार के आधार पर की है। पारिवारिक न्यायालय में दायर याचिका में क्रूरता के किसी भी विशेष घटना या तिथि का उल्लेख तक नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, दांपत्य जीवन में कभी-कभार मामूली कुप्रवृत्ति, किसी क्रिया या उपेक्षा, या कुछ धमकीपूर्ण और कठोर शब्दों का प्रयोग हो सकता है, जो पति-पत्नी के बीच आपसी प्रतिक्रिया के रूप में होता है, लेकिन इसे तलाक के लिए न्यायसंगत या टिकाऊ आधार नहीं माना जा सकता। किसी एक पति-पत्नी द्वारा दूसरे के प्रति किए गए तुच्छ वाक्य, टिप्पणियाँ या केवल धमकाना, उस प्रकार की क्रूरता नहीं मानी जा सकती जो विधि सम्मत तलाक के लिए आवश्यक होती है। स्वभाव की कठोरता, स्वभाव की चिड़चिड़ाहट और भाषा की कठोरता व्यक्ति-व्यक्ति में भिन्न हो सकती है, जो उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि, जीवन स्तर, शिक्षा की गुणवत्ता और समाज में उनके स्थान के अनुसार अलग-अलग होती है।

20. अतः, इस मामले के समस्त पहलुओं और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तरदाता-पति क्रूरता के आरोप को सिद्ध करने में असफल रहा है। विशेषकर, वह अपीलकर्ता के क्रूर व्यवहार का वह स्तर साबित नहीं कर पाया जो कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के तहत तलाक का आदेश प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है।

21. जहाँ तक परित्याग के आधार की बात है, उत्तरदाता-पति का कहना है कि अपीलकर्ता-पत्नी ने 19.08.2013 को उसे परित्याग कर दिया और तब से वह अपने मायके में रह रही है। उत्तरदाता-पति ने अपीलकर्ता-पत्नी को उसके वैवाहिक गृह में वापस लाने के लिए सभी प्रयास किए, लेकिन वह उत्तरदाता के साथ आने के लिए सहमत नहीं हुई। अतः अंततः उत्तरदाता ने 23.12.2013 को वर्तमान तलाक याचिका दायर की, जो कि अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा अपने वैवाहिक गृह में आने से इंकार किए जाने के लगभग चार महीने बाद की बात है। इस संदर्भ में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 का उल्लेख करना आवश्यक है:—

"(1) कोई भी विवाह, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में संपन्न हुआ हो, पति या पत्नी में से किसी एक द्वारा प्रस्तुत याचिका पर तलाक के डिक्री द्वारा भंग किया जा सकता है, यदि दूसरा पक्ष —"

[(i) विवाह होने के बाद, अपने जीवनसाथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वेच्छिक यौन संबंध बनाए हैं; या

(i ए.) विवाह के अनुष्ठान के बाद याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है; या

(i बी) याचिका प्रस्तुत किए जाने से पूर्व लगातार कम से कम दो वर्षों की अवधि के लिए याचिकाकर्ता को परित्याग कर दिया हो; या

(ii) किसी अन्य धर्म में धर्म परिवर्तन करके हिंदू होना खत्म कर दिया हो; या

[(iii) मानसिक रूप से अचेत या पागल हो, या इस प्रकार की मानसिक बीमारी से लगातार या अस्थायी रूप से पीड़ित हो कि याचिकाकर्ता से यह उचित रूप से अपेक्षा न की जा सके कि वह उत्तरदाता के साथ रहे।

22. अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा कथित परित्याग के केवल चार महीने बाद ही उत्तरदाता-पति ने वर्तमान तलाक याचिका दायर की, जो कि समयपूर्व है और इससे स्पष्ट होता है कि उत्तरदाता-पति ने अपनी पत्नी (अपीलकर्ता) के साथ समझौता करने के लिए उचित प्रयास नहीं किए और जल्दबाजी में तलाक याचिका दायर की। विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने भी पक्षकारों के बीच मामले/विवाद को सुलझाने की कोई कोशिश नहीं की और कथित परित्याग की अवधि को ध्यान में रखे बिना तलाक याचिका को स्वीकार कर लिया तथा दोनों पक्षों के बीच विवाह को समाप्त कर दिया, जो कि विधि की दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता। तलाक याचिका को स्वीकार करते समय, पारिवारिक न्यायालय ने कोई स्थायी भरण-पोषण निर्धारित नहीं किया, जो कि एक परित्यक्त पत्नी और उसकी आश्रित पुत्री का कानूनी अधिकार है।

23. अतः, दोनों पक्षों के समस्त तथ्यों और साक्ष्यों, तथा दिनांक 20.02.2018 को वैशाली, हाजीपुर के पारिवारिक न्यायालय के विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा तलाक मामला सं. 247/2013 में दिए गए निर्णय और फैसले का अवलोकन करने के पश्चात, उक्त निर्णय और फैसले को इस प्रकार निरस्त किया जाता है।

24. तदनुसार, 2018 की एम. ए. संख्या 331 को अनुमति दी जाती है।

25. लंबित अंतरिम आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

(एस. बी. प्र. सिंह, न्यायमूर्ति)

(पी. बी. भजंत्री, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश)

शागीर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।